

जनसत्ता, 22 अप्रैल, 2017 9

AMRIT AGRO INDUSTRIES LTD.

Regd. Off.: CM-28 (First Floor), Gagan Enclave,
Amrit Nagar, G.T.Road, Ghaziabad-201 009 (U.P.)

ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION

**MAGMA FINCORP LIMITED
-VERSUS-
SAIKAT SEN & OTHERS**

PLEASE TAKE NOTICE THAT a suit being C.S. No. 206 of 2015 has been filed against you and the other defendants before The Hon'ble High Court at Calcutta, inter alia praying for leave under Clause 12 of the Letters Patent and Order 1 Rule 8 and Order II Rule 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 and claiming for a Decree of declaration that the scheme pronounced on 4th & 5th of June, 2010 at Accolades 2010 on the terms and conditions set out morefully and particularly in paragraph 6 of the plaint has stood rescinded and/or is null and void and unenforceable and also for Declaration that the scheme pronounced on 4th & 5th of June, 2010 at Accolades 2010 on the terms and conditions set out morefully and particularly in paragraph 6 of the plaint cannot be availed of by the defendants in view of the failure of the plaintiff to achieve the earmarked targets described in paragraph 6 of the plaint and also for Perpetual injunction restraining the defendants and/or their men, servants, agents and assigns from seeking any benefit or reward or moneys under or in terms of the LTB scheme pronounced on 4th & 5th of June, 2010 at Accolades 2010 on the terms and conditions set out more fully and particularly in paragraph 6 of the plaint along with further other reliefs.

PLEASE ALSO TAKE NOTICE THAT above-mentioned application was taken up for hearing by His Lordship The Hon'ble Justice Soumen Sen wherein His Lordship has been pleased to grant leave to the Plaintiff/Petitioner to make substituted service upon the defendant no. 13 namely; **VIJAY JOSHI**, Residing at B-290, Section-20, Noida, Distt.-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201 301.

Witness : Mrs. Nishita Mhatre, The Hon'ble Acting Chief Justice of the High Court at Calcutta, the 21st day of March, Two Thousand and Seventeen (2017).

Sinha & Company

Advocates,

5, Kiran Shankar

Roy Road,

Kolkata - 700 001

For Registrar

High Court at

Calcutta

Original Side

13 (4) का अंतर्गत पत्र पत्राचार संस्था के द्वारा

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, वी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते एवं के लिए

एकिजओ सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

वाडिवेल कुमार श्रंगावेलु

DIN: 03029881

संजय मधु

DIN: 05296869

(निदेशक)

तिथि: 18 अप्रैल, 2017

स्थान: नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड

CIN: L74899DL1994PLC057572

पंजी. कार्या.: 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

फोन: 011-43571042-43571043, फैक्स: 011-43571047

ई-मेल आईडी: bpccapitallimited@gmail.com, वेबसाइट: www.bpcapital.in

आईएससी-26

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ के समक्ष

(कंपनी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) ए के साथ पठित कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के मामले में

तथा

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19,

बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, आवेदक के मामले में।

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 14 अप्रैल, 2017 को पोस्टल बैलेंट के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास आवेदन किया जा रहा है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे नीचे वर्णित पत्र पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, वी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजी. कार्यालय: 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कृते एवं के लिए

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड

हस्ता./-

रमेश कुमार गुप्ता

प्रबंध निदेशक

DIN: 00047724

तिथि: 22 अप्रैल, 2017

स्थान: नई दिल्ली

नई दिल्ली

क कार्यालय 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

धारकों के लिए नोटिस

श्री व हरियाणा राज्य के सीनीपत, गुड़गाँव, ले की बैंक शाखाओं से लॉकर हायर किए हुए के किराया 31.12.2016 तक 6 माह से अधिक एतद्वारा अंतिम सूचना दी जाती है कि वे इस के तिथि से 30 दिन के अंदर अपने लॉकर मा करवा दे ऐसा ना करने पर बैंक लॉकर सुओ को बेचकर लॉकर के किराए के बकाए र खोलने पर हुए खर्च की भरपाई करने के करने के लिए बाध्य होगा जैसा की लॉकर को ता नियमों में प्रावधान है। उपमहाप्रबन्धक

(दिल्ली आंचलिक कार्यालय 1 व 2)

ऑफ बड़ाई

एस-297, शास्त्री नगर,

स के सामने, गाजियाबाद (उ.प्र.)

सूचना

ए एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति व 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत नी में मांग सूचना तिथि 16.1.2017 जारी कर श चन्द त्यागी (2) श्री सुभाष त्यागी, पुत्र श्री से तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित 0 (रुपए नौ लाख छियासी हजार आठ सौ 11।

में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा देनांक 17 अप्रैल, 2017 को अधोहस्ताक्षरी ने प्रदेश अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत शरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर

ता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ए नौ लाख छियासी हजार आठ सौ सैंतालिस स पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्ज आदि गा।

का विवरण

म, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित सम्पत्ति का

पश्चिम : प्लैट नं. 33 ए

पश्चिम : प्लैट नं. 47 ए

(डी.के. मित्तल)

प्राधिकृत अधिकारी